कार्यालय वन मण्डल अधिकारी , वन मण्डल सिंगरौली (सामान्य) (म0प्र0)

E-mail - dfoeast_sidhi@rediffmail.com Ph. - 07805- 268606 Fax - 268617

क्रमांक / मा0चि0 / सिंगरौली, दिनांक......... / ...... / 2011

प्रति,

मुख्य महाप्रबंधक,
दुधीचुआ परियोजना
पो0 खड़िया जिला– सोनभद्र (उ0प्र0)

विषयः– दुधीचुआ कोयला परियोजना एक्ट्रेशन हेतु सर्वेक्षण सीमांकन की अनुमति बावत्।

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा का पत्र क्रमांक / मा0चि0 / 995 दिनांक 08.02.2011.

——000——

मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा के संदर्भित पत्र द्वारा वन मण्डल अंतर्गत वन परिक्षेत्र वैढ़न के संरक्षित वनखण्ड दुधीचुआ के कक्ष क्रमांक पी– 261 पी– 262 रकवा 443.000 हे0 में दुधीचुआ कोयला परियोजना पो0 खड़िया जिला– सोनभद्र (उ0प्र0) को सर्वेक्षण की अनुमति निम्न शर्तों पर दी जाती है।

1— सर्वेक्षण की अधिकतम अवधि तीन माह की होगी।

2— सर्वेक्षण के दौरान न तो कोई वृक्ष काटे / छाटे जाये और न ही किसी वृक्ष को कोई क्षति पहुंचाई जायेगी।

3— सर्वेक्षण के दौरान कार्य में लगाये गये श्रमिको द्वारा वनो में कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो उसका मुआवजा जो भी इस कार्यालय द्वारा आंकलित किया जावेगा आवेदक संस्थान से वसूली किया जावेगा।

4— सर्वेक्षण के दौरान कार्य संबंधित क्षेत्र के (वृत्त सहांयक) रेंज असिस्टेंट के देख रेख व उपस्थिति में होगा।

5-- किसी भी शर्त का उल्लघंन होने पर सहमति समाप्त मानी जावेगी एवं इस कार्यालय को तत्काल प्रभाव से कार्य रोकने का पूर्ण अधिकार होगा।

6— सर्वेक्षण का जांच प्रतिवेदन सासन एवं इस कार्यालय को भेजा जावे।

7— सर्वेक्षणकर्ता परिक्षेत्र अधिकारी को अपनी उपस्थिति दर्ज करावें तथा परिक्षेत्राधिकारी के मार्गदर्शन में सर्वेक्षण कार्य सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें जिससे कि महत्वपूर्ण जैव विविधता तथा पर्यावरणीय महत्व वाले वनों को काटने से वचाया जा सके।

—Sd—
वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली(सामान्य)

पृ0क्रमांक / मा0चि0 / 1219 सिंगरौली, दिनांक 23 / 02 / 2011

प्रतिलिपिः–

उप वनमण्डलाधिकारी वैढ़न, एवं वन परिक्षेत्राधिकारी वैढ़न, की ओर सूचनार्थ मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा के पत्र क्रमांक / मा0चि0 / 995 / दिनांक 08.02.2011 के द्वारा सर्वेक्षण की अनुमति प्रदान की गई है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कृपया उपरोक्त क्षेत्र संबंधित संस्थान के सर्वेक्षण का कार्य संबंधित रेंज असिस्टेंट की उपस्थिति में होगा।

वन मण्डल अधिकारी,
वन मण्डल सिंगरौली (सामान्य)